कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

//संक्षिप्त निवदा सूचना पत्र//

क्र./7180 /वित्त–1/2017, कोरबा दिनांक 15/06/2017

राजस्व विभाग जिला कोरबा की रिक्त पदो की भर्ती वर्ष 2016 के प्रारंभिक परीक्षा लिये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला कोरबा की ओर से निर्माताओं और उनके अधिकृत विक्रेताओं से ओ0एम0आर0 शीट प्रदान करने हेतु मोहरबंद निविदाएँ रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड़ पोस्ट अथवा पी.एण्ड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी अथवा निर्धारित टेंडर बाक्स में डाली जावेगी। रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएँ निर्धारित अंतिम तिथि के कार्यालयीन समय में 3:00 बजे अपरान्ह तक ही आमंत्रित की जावेगी। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) रू. 1000/– नगद भुगतान कर दिनांक 14.7.2017 के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा फार्म प्रदाय की अंतिम तिथि – 14.7.2017 समय– अपरान्ह 03:00 बजे
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 17.7.2017 समय– अपरान्ह 03:30 बजे
निविदा खोलने की तिथि – 17.07.2017 समय– अपरान्ह 04:00 बजे

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

पृ0क्र./ 7181 /वित्त–1/2017, कोरबा दिनांक 15/06/2017

प्रतिलिपी:–

1. महालेखाकार छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक जनसंपर्क छ0ग0 शासन रायुपर की ओर सूचनार्थ एवं निविदा प्रकाशन कराने हेतु संप्रेषित।
3. कमिश्नर बिलासपुर संभाग छ0ग0।
4. सर्व कलेक्टर ....छ0ग0।
5. मख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को सूचनार्थ। कृपया निविदा की सूचना, सूचना पटल पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करे।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा/कटघोरा/पोड़ी उपरोड़ा की ओर निविदा की सूचना, सूचना पटल पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करे।
7. उपसंचालक, जनसंपर्क कार्यालय कोरबा की ओर प्रकाशनार्थ हेतु।
8. जिला नाजिर कार्यालय कलेक्टर कोरबा को सूचनार्थ। उक्त निविदा को सूचना पटल पर चस्पा कराने हेतु अग्रेषित।
9. जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय कोरबा की ओर कोरबा जिले की एवं राज्य की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

–::निविदा नियम एवं शर्तें::–

इस कार्यालय के निविदा विज्ञप्ति क्रं. 7180/निर्वा-1/2017 दिनांक 15.06.2017 के द्वारा राजस्व विभाग जिला कोरबा एवं जिला निर्वाचन सामान्य कोरबा के रिक्त पदो के भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा के ओ0एम0आर0 शीट के दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जिसके नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है–

1. निविदा के साथ निविदाकार को वाणिज्य कर विभाग का जीवित पंजीयन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ निविदाकार को वाणिज्यक कर विभाग द्वारा जारी कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ निविदाकार को फर्म /स्वयं के आयकर विभाग द्वारा जारी जीवित पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकार को वित्तीय वर्ष 2014–2015 एवं 2015–16 का आयकर विवरणी पत्रक संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकार को निविदा के साथ राशि रूपये 50,000/–शब्दो में रूपये पच्चास हजार केवल की अमानत राशि TDR/BD कलेक्टर कोरबा के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के संबंध में निगोसियेशन का अधिकार जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा।
7. निविदा में विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
8. निविदाकार को निविदा दो लिफाफा A एवं B में प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा A में तकनीकी अहर्ताए – जिसमें अमानत राशि का TDR/BD वाणिज्य कर पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र, कर समाशोधन पत्रक, पैन कार्ड, पिछले दो वित्तीय वर्ष 2014–2015 एवं 2015–16 का आयकर विवरण पत्रिका संलग्न कर बंद लिफाफा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लिफाफा A (तकनीकी अहर्ता) सही पाये जानें पर लिफाफा B वित्तीय लिफाफा खोला जावेगा। लिफाफा A के अनुसार तकनीकी अहर्ता पूर्ण नहीं होने पर लिफाफा B वित्तीय लिफाफा नही खोला जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय लिफाफे में प्रति छात्र ओ0एम0आर0 शीट, ओ0एम0आर0 शीट प्रिंटिंग एवं ओ0एम0आर0 शीट मूल्यांकन की समेकित दर (Total rate) दी जावेगी। यदि एक बड़े लिफाफे के अंदर पृथक–पृथक दो लिफाफे A एवं B प्रस्तुत किया जाता है तो निविदा अस्वीकार नही किया जायेगा।
9. निविदाकार को ओ0एम0आर0शीट का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. निविदाकार द्वारा निविदा पत्रक एवं दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर स्वप्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
11. सफल निविदाकार को तीन दिवस के भीतर आवश्यक सामग्री प्रदाय करने हेतु अनुबंध संपादित करना होगा।
12. सामग्री निर्धारित समयावधि के भीतर पहुँचा कर देना होगा एवं ओ.एम.आर शीट जांच करने का कार्य कलेक्टोरेट कोरबा में ही संपादित करना होगा।

क्रमशः 2

12 (A) ओ0एम0आर0 शीट प्रारंभिक परीक्षा के कम से कम 04 दिवस के पूर्व उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

12 (B) परीक्षा उपरांत ओ0एम0आर0 शीट की स्कैनिंग एवं रिजल्ट का कार्य जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट में ही सम्पन्न करना होगा।

12 (C) ओ0एम0आर0 शीट की डिजाइन जिला कार्यालय द्वारा तय किये गये प्रारूप में किया जाना होगा।

13. निविदाकार को छ0ग0 राज्य लोक सेवा आयोग, छ0ग0 व्यवसायिक परीक्षा मंडल अथवा छ0ग0 शासन के किसी शासकीय विभाग हेतु ओ.एम.आर. शीट प्रदाय करने के साक्ष्य में कार्यादेश की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. निविदाकार के दर समस्त कर सहित प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के (वैट टैक्स, सेवा कर, कृषि कल्याण सेस, जी.एस.टी. आदि अन्य कर) कर की राशि का भुगतान नही किया जायेगा।

15. ओ0एम0आर0 शीट प्रदाय कार्य अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है :–

- शीट प्रदाय करना।
- जिला कार्यालय द्वारा तैयार डिजाईन(प्रारूप) अनुसार प्रिंटिंग कार्य कर जिला कार्यालय को परीक्षा तिथि के कम से कम 04 दिवस पूर्व ओ0एम0आर0 शीट उपलब्ध कराना होगा।
- परीक्षा उपरांत स्कैनिंग कर, जांच उपरान्त मेरिट सूची (परीक्षा परिणाम) तैयार करना।

16. सम्पर्क नं.– 8827092502 (समय:- प्रात: 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)